

The payment of Bonus act, 1965- बोनस, नियोक्ता का एहसान है या कर्मचारी का अधिकार, पढ़िए



लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

भारत के अन्दर बहुत से बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, कंपनियों स्थापित हैं इनमें हजारों श्रमिक कार्य करते हैं, सभी को हर वर्ष बोनस के तौर पर सैलरी बढ़ाई जाती है जिससे कर्मचारियों में खुशी का माहौल होता है क्या किसी प्राइवेट लिमिटेड कारखाने, उद्योग, या फैक्टरी में बोनस दिया जाता है वह उन पर मालिक की दया होती है या उनका कोई कानूनी अधिकार। अगर कानूनी अधिकार है तो कितना बोनस मिलना चाहिए कर्मचारियों को जानिए सभी बातों का जबाब आज के लेख में।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की परिभाषा (सरल एवं संक्षिप्त शब्दों में) कोई भी कर्मचारी (कुशल, अकुशल श्रमिक, तकनीकी, लिपिक आदि) आदि जिनका वेतन 21,000 हजार से अधिक न हो उनको न्यूनतम बोनस 8.33% एवं अधिकतम बोनस 20% भुगतान किया जाएगा। यह बोनस

भुगतान नियोजक द्वारा लेखा वर्ष की समाप्ति में या एक माह के भीतर अन्यथा किसी अन्य दशा की स्थिति में 8 माह के भीतर बोनस का भुगतान किया जाएगा।

निम्न व्यक्ति बोनस के पात्र नहीं होते हैं अधिनियम की धारा-9 के अनुसार किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति - कपट या हिंसात्मक आचरण से हुई हो, संपत्ति की चोरी से, किसी भी दुरूपयोग, गबन या तोड़फोड़ आदि आचरण के कारण हुई हो।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान- अगर कोई कर्मचारी को बोनस नहीं दिया जा रहा है तब इनकी सुनवाई का अधिकार अधिनियम की धारा- 30 के अनुसार प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को होता है।

दण्ड (सजा)- अधिनियम की धारा- 28 के अनुसार अगर कोई नियोजक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तब उसे एक हजार रुपये जुर्माना या छः माह का कारावास या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

(पार्ट टाइम काम करने वाले कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा)- अरुण मिल्स लिमिटेड बनाम डॉ. चंद्रप्रसाद त्रिवेदी (1976)- न्यायालय द्वारा उपर्युक्त वाद में कहा गया है कि अंशकारी (part time) कार्यरत कर्मचारी को बोनस प्राप्त करने की पात्रता है।

बेहतर समन्वय से केन्द्र सरकार के मंत्रालयों से मिल रहा है पूरा सहयोग : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की केन्द्रीय मंत्रियों से भेंट

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रियों के साथ भेंट कर, राज्य हित के विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय मंत्रियों से भेंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका नई दिल्ली प्रवास बहुत सफल रहा। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के साथ बेहतर समन्वय से मध्यप्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति में पूर्ण सहयोग मिल रहा है। संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग और भविष्य की दृष्टि से उपयोगी प्रकल्पों के संबंध में सार्थक विचार-विमर्श हुआ। कई योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश के अग्रणी रहने की जानकारी भी केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश में होगी राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए निकट भविष्य में राज्यों के कृषि मंत्री मध्यप्रदेश में संयुक्त बैठक कर विचार-विमर्श करेंगे। कृषि विज्ञान केन्द्रों की भूमिका और कृषि तकनीक सहित किसानों के हित से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी।

कृषि और ग्रामीण विकास योजनाएं



मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्रीय कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ किसानों की आय वृद्धि और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में किसान कल्याण वर्ष-2026 के अंतर्गत 17 विभागों के सहयोग और समन्वय से संचालित कृषक कल्याण अभियान की जानकारी केन्द्रीय कृषि मंत्री को दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सोयाबीन उत्पाद किसानों के लिए भावांतर योजना के सफल क्रियान्वयन के साथ ही सरसों के लिए भी योजना का लाभ लेने पर सहमति देनी होगी। प्रदेश में तुअर दाल की 55 इकाइयों की स्थापना के लिए चर्चा हुई। भारत सरकार द्वारा तिलहन का रकबा बढ़ाने और उत्पादित दाल की खरीदी

व्यवस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री सड़क योजना और अन्य ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए सहयोग प्राप्त करने पर भी चर्चा हुई।

वित्तीय प्रबंधन पर केन्द्रीय वित्त मंत्री से चर्चा: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से वित्तीय प्रबंधन के संबंध में चर्चा हुई। वर्तमान वित्त वर्ष में विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य एवं पूर्ति की जानकारी देते हुए प्रदेश को आवश्यक वित्तीय सहयोग के संबंध में चर्चा हुई। सिंहस्थ-2028 के कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकल्पों के लिए आवश्यक वित्त व्यवस्था पर बातचीत हुई।

MP Police Regulation- पुलिस अधिकारी को कहाँ पदस्थ नहीं किया जा सकता है, जानिए

पुलिस दल के सदस्य का प्राथमिक कर्तव्य है अपराध को रोकना एवं स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा करना। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है एवं इनके संबंध में पुलिस एक्ट, 1861 की धारा 6 के अंतर्गत कोई भी राज्य नियम, विनियम बना सकते हैं।

महत्वपूर्ण वाद - चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला मे न्यायालय द्वारा कहा गया है कि इस धारा के अंतर्गत बनाये गए नियम विधान के अंग ही माने जाएंगे, इसी प्रकार मध्यप्रदेश राज्य पुलिस विनियम भी एक विधान का अंग हैं। सवाल यह है कि किसी पुलिस अधिकारी को उसके निजी स्थान में पदस्थ किया जा सकता है या नहीं जानते हैं।



लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

क्रमांक 63 की परिभाषा:

* भर्ती होने वाले प्रत्येक पुलिस अधिकारी

से उक्त नियम द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति जो चाहे संयुक्त परिवार में हो या उसके अलग अधिकार में हो उसकी स्थिति, विस्तार क्षेत्र एवं मूल्य की जानकारी सही सही दे।

* किसी भी पुलिस अधिकारी को उस क्षेत्र में पदस्थ नहीं किया जाएगा जिसमें उसका परिवार संपत्ति धारण करता हो या उसका परिवार उस क्षेत्र में कोई व्यापार करता हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी पुलिस अधिकारी को उसके निजी स्थान में पदस्थ कर देना मध्यप्रदेश पुलिस विनियम क्रमांक 63 का वैधानिक उल्लंघन मना जाएगा।

= लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665 *

शहडोल ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से एक किसान का दस्तावेज एवं 12 हजार रुपये नगदी से भरा गुम हुआ झोला सुरक्षित वापस मिला

केलाश कुमार अहिरवार -
सह-संपादक (युवा प्रदेश)

शहडोल - जानकारी के अनुसार सिंहपुर पडरिया निवासी किसान छोटे लाल प्रजापति शहडोल शहर आए थे। राजेंद्र टॉकीज चौक के पास उनका झोला साइकिल से गिर गया, जिसमें जरूरी दस्तावेज और लगभग 12 हजार रुपये नगद थे। झोला गायब होने पर उन्होंने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक आरक्षक मंटू यादव को जानकारी दी। सूचना मिलते ही जयस्तंभ चौक में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी अरशद खान ने सक्रियता दिखाते हुए ऑटो चालक को

रोककर झोला अपने कब्जे में लिया। दस्तावेजों में मिले नंबर के आधार पर किसान से संपर्क कर झोला सुरक्षित वापस



कर दिया गया।

अपना झोला और नगदी सुरक्षित पाकर किसान ने ट्रैफिक पुलिस का आभार व्यक्त किया।

M.C.B जिले से भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल(छ.ग) के जिलाध्यक्ष बने ...पुनवा प्रसाद एवं यीशै दास... शुभचिंतकों में दौड़ी खुशी की लहर



कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

मनेन्द्रगढ़/बता दें कि- विगत दिनों भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल (छ.ग) के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हनुमत साहू जी एवं प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल छत्तीसगढ़ के श्रीमान शिवम् कुमार यादव जी के तत्वावधान में एम.सी.बी जिले में संगठन के रिक्त पदों पर अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में श्री पुनवा प्रसाद एवं श्री यीशै दास का चयन करते हुए। उन्हें एम.सी.बी जिले का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उक्त नियुक्त को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। उक्त नियुक्त के

जारी होते ही श्री दास और श्री पुनवा प्रसाद के शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्हें लोग अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहे हैं। गौरतलब है कि मनेन्द्रगढ़ शहर के सबसे कम उम्र के उभरते युवा नेता श्री यीशै दास जो लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते आये हैं। ऐसे में उनको एक और अहम जिम्मेदारी मिलने से अब और भी मजबूती से जनहित के मामलों को लेकर निखर कर सामने आएंगे। वही बात की जाए श्री पुनवा प्रसाद जी की तो वे भी शहर में अपनी अमठ पहचान स्थापित किए हुए हैं। और एक लोकप्रिय चेहरा के रूप में उन्हें भी एम.सी.बी जिले की कमान

अध्यक्ष रूप में दिए जाने से संगठन को एक मजबूती प्रदान होगी। उक्त नियुक्त को आधिकारिक रूप से जारी भी कर दिया गया है।

जिस संबंध में श्री यीशै दास ने मिडिया को जानकारी देते हुए बताया कि - मुझे जैसे एक छोटे से शहर के युवा पर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल(छत्तीसगढ़)ने जो भरोसा और विश्वास जताया है। मैं हर संभव संगठन के हित में खरा उतरने का अथक प्रयास करूंगा। और संगठन के आदेशानुसार जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाएगी। उस पर हम सभी मिलकर कार्य करेंगे। मुझे और पुनवा प्रसाद जी को एम.सी.बी जिले का नवीन दायित्व प्राप्त होते ही मेरा सबसे पहला लक्ष्य यही होगा कि कोई भी मजदूर, गरीब, असहाय, पिंडितों की आवाज बनकर उन्हें उनका हक दिलाना और जहां से जो भी जानकारी मुझे तक पहुंचेगी मैं उस पर तत्काल हर संभव न्याय दिलाने कार्य करूंगा और एक बार फिर से भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल (छत्तीसगढ़)का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, आक्रोशित परिजनों ने लगाया चक्का जाम

संभागीय संवाददाता -राजू राय

शहडोल। जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जयसिंहनगर डूअमझोर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। करीब एक घंटे तक शव सड़क पर ही रखा रहा और परिजन ट्रक मालिक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के अमझोर मार्ग स्थित रामसोहरा तिराहे के पास हुआ। मृतक की पहचान श्रवण साहू (30) निवासी गांधिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि श्रवण साहू अपनी बाइक से जयसिंहनगर बाजार की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे बोर लदे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ट्रक के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना को देख आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस

को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक का पीछा कर कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने ट्रक को जप्त कर थाने में खड़ा करा दिया है, वहीं चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। इधर घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में



ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने जयसिंहनगर डूअमझोर मार्ग पर चक्का जाम लगा दिया, जिससे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। परिजनों का कहना है कि जब तक ट्रक मालिक को मौके पर नहीं बुलाया जाएगा और उचित कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वे जाम नहीं हटाएंगे। घटना स्थल पर करीब एक घंटे तक शव सड़क पर ही रखा रहा। स्थिति को संभालने के लिए थाना प्रभारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करते रहे।

फी इलाज का सच: ऑपरेशन के नाम पर 25 हजार की मांग, सर्जन की शिकायत

संभागीय संवाददाता -राजू राय

शहडोल। जिला चिकित्सालय में इलाज के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार धनपुरी निवासी एक गरीब परिवार ने अस्पताल के सर्जन बीपी पटेल पर ऑपरेशन के बदले 25 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को सिविल सर्जन से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।



जानकारी के अनुसार धनपुरी के आलमगंज चीप हाउस निवासी मो. शिराजुद्दीन ने अपनी पत्नी असगरी बेगम (34) को 10 फरवरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि 12 फरवरी को महिला का

ऑपरेशन होना तय हुआ, लेकिन ऑपरेशन से पहले ही सर्जन बीपी पटेल ने 25 हजार रुपये नकद देने की शर्त रख दी।

परिजनों के मुताबिक शिराजुद्दीन मूंगफली बेचकर परिवार का गुजारा करते हैं। पत्नी की जान बचाने के लिए उन्होंने रिश्तेदारों से उधार लेकर डॉक्टर को 25 हजार रुपये दिए। आरोप है कि रकम देने के बाद ही चिकित्सक ने ऑपरेशन किया।

हालांकि ऑपरेशन के करीब 22 दिन बीत जाने के बाद भी मरीज की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। परिजनों का कहना है कि अब डॉक्टर जिम्मेदारी से बचते हुए मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर करने की बात कह रहे हैं। इससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत सिविल सर्जन से की है और आरोप लगाया है कि सरकारी अस्पताल में गरीबों के मुफ्त इलाज के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों से भी इलाज के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं।

वहीं जिला अस्पताल में इलाज के बदले पैसे लेने के आरोप पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से मरीजों में नाराजगी बढ़ रही है। मामले को लेकर सिविल सर्जन ने जांच कराने की बात कही है।

अवैध संबंध के शक में की गई हत्या का खुलासा, भालूमाड़ा पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

भालूमाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम दारसागर में हुई अंधी हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 11 जनवरी 2026 को ग्राम पंचायत सरपंच दारसागर द्वारा सूचना दी गई कि गांव के खेत के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव और मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उप निरीक्षक विपुल शुक्ला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान ग्राम दारसागर सिहराखार स्थित श्यामसुंदर प्रजापति के खेत में कसई पेड़ के नीचे एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके सिर पर किसी भारी औजार से गंभीर चोट के निशान थे। मौके पर मिले दो मोबाइल फोन में कॉल आने पर पुलिस ने जानकारी ली, जिससे मृतक की पहचान वार्ड क्रमांक 11 दफाई नंबर 3 भालूमाड़ा निवासी शोभा नामदेव (50) के रूप में हुई। मृतक के पुत्र अनुज नामदेव की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 15/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

हत्या जैसे गंभीर मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित कर जांच की गई। पुलिस ने मृतक के परिचितों से पूछताछ, आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच तथा साइबर सेल की मदद से मोबाइल नंबरों की लोकेशन और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाले। जांच के दौरान आरोपी प्रीतम केवट (42) निवासी पोंडी भर्मा टोला और रोहित केवट (40) निवासी चोंडी थाना भालूमाड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक शोभा नामदेव का आरोपी प्रीतम के घर लंबे समय से आना-जाना था और उसके घर की



महिलाओं से अवैध संबंध होने का शक था। कई बार मना करने के बाद भी वह नहीं माना, जिससे नाराज होकर दोनों आरोपियों ने उसे भरोसे में लेकर घटना स्थल तक बुलाया और लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर हत्या कर दी।

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड तथा मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 18 सी 9785 जब्त की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पूरे मामले के खुलासे में थाना प्रभारी उप निरीक्षक विपुल शुक्ला के साथ गुरु चतुर्वेदी, महिपाल प्रजापति, कृपाल सिंह और सुप्रिया त्रिपाठी की अहम भूमिका रही।

सरकारी छात्रावासों में शुरू होने वाली प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह होगी ऑनलाइन प्रदेश में 597 छात्रावास संचालित



रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय छात्रावासों में वर्ष 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वर्ष विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष ई-हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र हरजिंदर सिंह ने बताया कि प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका एवं बालक छात्रावासों में विशेष रूप से वंचित वर्ग के बालक-बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पारदर्शी ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली प्रारंभ की गई है। संचालक श्री सिंह ने बताया कि ई-हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली एक समेकित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया, सीट आवंटन, अभिलेख संधारण और प्रशासनिक कार्यों को ऑनलाइन एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए विकसित किया गया है। ई-हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) टाइप- एवं टाइप तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस (एनएससीबी) बालक/बालिका छात्रावासों के पारदर्शी प्रबंधन और उनमें प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित की गई है। वेबसाइट पर जाकर करना होगा आवेदन छात्रावासों में कक्षा 6वीं एवं अन्-य कक्षाओं की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी प्रथम चरण में 30 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रथम चरण के बाद सीट्स रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय चरण के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। यह 6 अप्रैल 2026 से 10 जून 2026 तक चलेगी। छात्रावास में प्रवेश के लिए अभिभावकों, विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेन्टर के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। इसके साथ ही यदि किसी अभिभावक पालक विद्यार्थी को आवेदन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वे संबंधित वार्डन के सहयोग से भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। छात्रावासों में लक्ष्य के अनुसार 50, 100, 150, 175, 200, 220 तथा 275 सीटें उपलब्ध हैं। कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (टाइप-) एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावासों में प्रवेश दिया जाता है। वहीं कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (टाइप-) में प्रवेश की पात्रता होती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास की मार्गदर्शिका के अनुसार 75 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं, जबकि 25 प्रतिशत सीटें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं।

अफवाहों पर ध्यान न दें एलपीजी सिलेण्डरों की जमाखोरी रोकने के कलेक्टर के सख्त निर्देश

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में ऑयल कंपनियों, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, होटल इंडस्ट्रीज तथा गैस वितरक एजेंसियों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गैस सिलेण्डरों के वितरण, आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता तथा जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों का वितरण केवल अधिकृत गैस वितरण कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही व्यवसायिक सिलेण्डरों के वितरण को लेकर भी भारत सरकार के नियमों के अनुसार व्यवस्था लागू की गई है। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्टल तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को शासन के



प्रावधानों के अनुरूप गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा गैस सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत सख्ती बरती जा रही है। इसके अंतर्गत घरेलू एलपीजी सिलेण्डर की बुकिंग व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब एक सिलेण्डर की डिलीवरी होने के बाद उपभोक्ता अगला सिलेण्डर 25 दिन बाद ही बुक कर सकेगा। साथ ही गैस सिलेण्डर की डिलीवरी के समय या बायोमेट्रिक

सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। कलेक्टर ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को गैस वितरण व्यवस्था की निगरानी रखने तथा जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू सिलेण्डरों को लेकर किसी भी प्रकार की घबराहट की स्थिति नहीं है। गैस वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग के अनुसार नियमित रूप से सिलेण्डर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कलेक्टर ने भोपाल के नागरिकों से अपील की कि गैस सिलेण्डर वितरण को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत माध्यमों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें।

भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश। भारतीय राजस्व सेवा (आईटी) के 79 वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्यक्ष कर राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्व का एक स्थिर स्रोत प्रदान करके, वे सरकारों को बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने में सक्षम बनाते हैं। एक निष्पक्ष और पारदर्शी कर प्रणाली समानता को बढ़ावा देती है और समावेशी एवं विकास की नींव को मजबूत करती है। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व सेवा का दायित्व केवल कर संग्रह तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि आईआरएस अधिकारियों की जटिल वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण करने, सीमा पार अवैध वित्तीय प्रवाह का पता लगाने और जटिल कॉर्पोरेट संरचनाओं को सुलझाने की क्षमता उन्हें विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में राष्ट्र की प्रगति में अपरिहार्य भागीदार बनाती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायसंगत, कुशल और व्यावसायिक प्रक्रियाओं की गहन समझ पर आधारित निर्णय लें। राष्ट्रपति ने कहा कि आईआरएस अधिकारी होने के

नाते, युवा अधिकारियों को अपने आचरण और निर्णय लेने में विवेक का प्रयोग करना चाहिए। एक विवेकशील अधिकारी प्रवर्तन और सुविधा प्रदान करने, अधिकार और विनम्रता, तथा



तकनीकी क्षमता और मानवीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाए रखता है। उन्होंने उन्हें विनम्रता, संयम और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ अधिकार का प्रयोग करने की सलाह दी। भारतीय राजस्व सेवा (आईटी) के अधिकारी प्रशिक्षु, जिनमें रॉयल भूटान सेवा के दो अधिकारी प्रशिक्षु भी शामिल हैं, नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) में प्रेरण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिक से अधिक खाते खुलवाए जाएं-कलेक्टर श्री पंचोली 01 अप्रैल को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में सभी अधिकारी अपने प्रभार के गांव के विद्यालयों में निभाएं सहभागिता-कलेक्टर

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने कहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर बालिकाओं के नाम से खाते खुलवाए जाएं। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। कलेक्टर श्री पंचोली ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को योजना की जानकारी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे

अपनी 10 वर्ष से कम आयु की बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाकर इस योजना का लाभ लें। कलेक्टर श्री पंचोली ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र से 01 अप्रैल को आयोजित होने वाले प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी अधिकारी अपने-अपने प्रभार वाले गांवों में विद्यालयों में पहुंचकर प्रवेशोत्सव में



सहभागिता सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री पंचोली ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षक एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा पुस्तक वितरण सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से की जाएं। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने स्वास्थ्य

विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में एक बार फिर विशेष अभियान चलाकर सेचुरेशन मोड में कार्य किया जाए, ताकि 70 वर्ष से अधिक आयु

के वे व्यक्ति, जिनके आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बन पाए हैं, उन्हें योजना का लाभ मिल सके। कलेक्टर श्री पंचोली ने कहा कि कई लोगों को आधार कार्ड में त्रुटियों के कारण आयुष्मान कार्ड बनवाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर आधार सुधार के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। इसके लिए उन्होंने जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस को आवश्यक निर्देश दिए, ताकि आधार सुधार के बाद पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकें। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए।

कांग्रेस कार्यालय का हुआ शुभारंभ

जिला उपाध्यक्ष धीरन शाह जी के मुख्य आतिथ्य में
रिविन काटकर किया गया कार्यालय का शुभारंभ

हरई।

हरई कांग्रेस कमेटी का गुरुवार के दिन बटका रोड राधा कृष्ण मंदिर के समीप कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं अमरवाड़ा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री धीरन शाह इनवाती, जिला आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामनारायण परतेती, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामजी उडके, किसान मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष धरम यादव एवं आदिवासी प्रकोष्ठ अध्यक्ष नत्थूलाल मौजूद रहे। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब बूथ स्तर पर बूथ कमेटी, पंचायत स्तर पर पंचायत कमेटी बनाने एवं मजबूत करने में लगी है लगातार क्षेत्र में नए युवा कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर बड़े जोश के साथ पार्टी में जुड़ रहे हैं। विधायक



प्रत्याशी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यालय कांग्रेस का कार्यालय नहीं

है यह कार्यालय क्षेत्र की जनता का कार्यालय है क्षेत्र की जनता को अगर

किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उनके लिए हमेशा कार्यालय खुला

रहेगा साथ ही समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहेगी। कार्यालय के शुभारंभ के शुभ अवसर पर महिला ब्लॉक अध्यक्ष सविता बरकडे, ब्लॉक सचिव अक्षय उडके, कार्यालय प्रभारी अब्दुल मंसूरी, संतोष उडके, सुचना प्रभारी सेवसी सरेआम, क्षेत्रीय अध्यक्ष भागचंद धुर्वे, नारायण इनवाती, तुलसीराम उडके, कलश राम धुर्वे, राजाराम परतेती, जलमान धुर्वे, महेंद्र भलावी, गगन डेहरिया, उमेश यादव, चंद्रनीकेत, सेवादल अध्यक्ष धनीराम भलावी, नगर कांग्रेस से विजय नामदेव, संजय यादव, मनीष साहू, बलराम श्रीवास सहित बड़ी संख्या में बीएलए पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शहडोल में सजेगी कविताओं और ठहाकों की महफिल, 'वी एसोसिएशन ऑफ इंडिया' आयोजित करेगा भव्य कवि सम्मेलन

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक
(युवा प्रदेश)

जिले में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'वी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (शहडोल ग्रेट)' द्वारा एक भव्य कवि सम्मेलन का



आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 12 मार्च 2026 को शहर के प्रतिष्ठित होटल ओएसिस में आयोजित होगा, जिसमें हास्य और व्यंग्य से भरपूर कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को एक यादगार और मनोरंजक शाम का अनुभव मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट विजिट के विशेष अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर शहर के साहित्य प्रेमियों और सामाजिक संगठनों में उत्साह का माहौल है। आयोजन में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल श्रोताओं का मनोरंजन करना है, बल्कि समाज में साहित्य और रचनात्मक

अभिव्यक्ति के प्रति रुचि को भी बढ़ावा देना है। इस भव्य आयोजन की तैयारियां वी क्लब की अध्यक्ष हेमू गुप्ता, सचिव रश्मि अरोरा और सुभद्रा सिंह के नेतृत्व में पूरी कर ली गई हैं। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं, ताकि श्रोताओं को एक उत्कृष्ट साहित्यिक माहौल मिल सके। इस काव्य गोष्ठी का मुख्य आकर्षण डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एवं प्रख्यात कवयित्री मनीषा सोनी होंगी, जो अपनी प्रभावशाली और भावपूर्ण रचनाओं से मंच की शोभा बढ़ाएंगी। उनके साथ संगीता शुक्ला, नीतू सिंह और प्राप्ति सोनी जैसी प्रतिभाशाली कवयित्रियां भी अपनी कविताओं के माध्यम से हास्य, व्यंग्य और सामाजिक सरोकारों को प्रस्तुत करेंगी।

आयोजकों का मानना है कि ऐसे साहित्यिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और लोगों को अपनी संस्कृति और भाषा से जोड़ने का कार्य करते हैं। कवि सम्मेलन में प्रस्तुत होने वाली रचनाएं जहां एक ओर श्रोताओं को ठहाके लगाने पर मजबूर करेंगी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक संदेश भी देंगी। शहर में इस तरह के आयोजनों से साहित्यिक वातावरण को नई दिशा मिलती है और नई पीढ़ी को भी साहित्य की ओर प्रेरित करने का अवसर मिलता है। इसलिए यह कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का माध्यम बनेगा, बल्कि साहित्यिक चेतना को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं की समीक्षा, कलेक्टर को दिए निर्देश

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
भोपाल मध्य प्रदेश

अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में बुधवार को भोपाल संभाग की विकास योजनाओं और शासकीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आयुक्त कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE), नल-जल योजना और जल जीवन मिशन सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा योजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कलेक्टर को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य सेवाओं, विद्यालयों और आंगनवाड़ियों के संचालन की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों की व्यवस्थाओं पर सतत निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार की कमी या अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य पूर्ण होने के बाद सड़कों को जीर्ण-शीर्ण अवस्था में न छोड़ा जाए और उनका समय पर संधारण सुनिश्चित किया



जाए। उन्होंने कहा कि नगरों के बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखते हुए शहरों की बाहरी सीमाओं पर बहुदेशीय विकास परियोजनाओं का निर्माण किया जाए, जिससे शहरी विकास को नियोजित स्वरूप मिल सके। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के पास दोहरा प्रभार है, वे निर्धारित दिवसों पर संबंधित कार्यस्थलों पर उपस्थित रहकर कार्यों की नियमित समीक्षा करें, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। साथ ही, बांधों के लिए अधिग्रहित भूमि का शीघ्र नामांतरण संबंधित विभागों के नाम करने के निर्देश भी दिए गए।

ग्रीष्मकाल को देखते हुए समूह पेयजल योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सके। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि जनप्रतिनिधियों, विशेषकर विधायकों के साथ निरंतर संवाद और समन्वय बनाए रखें तथा उनके द्वारा उठाई गई जनसमस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।



शिवानी पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल में रक्तदान शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान



कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

शहडोल - समाज सेवा और मानवता की मिसाल पेश करते हुए शिवानी पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना था।

इस अवसर पर कॉलेज के विद्यार्थियों, स्टाफ तथा शहर के कई समाजसेवियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान किया। शिविर में उपस्थित डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने सभी आवश्यक स्वास्थ्य जांच के बाद सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान महादान है और एक यूनिट रक्त कई लोगों की जिंदगी बचाने में सहायक होता है। उन्होंने युवाओं से नियमित रूप से रक्तदान करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। शिविर में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर शिवानी पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डी. के. द्विवेदी ने रक्तदान करने वाले सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कॉलेज समय-समय पर ऐसे सामाजिक और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा, जिससे समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है, इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को समय-समय पर रक्तदान अवश्य करना चाहिए।

डी. के. द्विवेदी, संचालक शिवानी पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल द्वारा इस संबंध में समाचार एवं फोटो पत्रकार बंधुओं को उनके प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजे गए हैं।

पन्ना कलेक्ट्रेट बना आंदोलन का केंद्र: हजारों आदिवासी, किसानों ने डाला डेरा, महिलाएं बच्चों के साथ रात भर डटीं

न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और व्यापक होगा : अमित भटनागर

पन्ना।

केन-बेतवा लिंक परियोजना, मझगाय मध्यम सिंचाई परियोजना और रुन्झ मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित हजारों आदिवासी और किसान परिवारों ने आज जय किसान संगठन के बैनर तले 'न्याय सत्याग्रह' आंदोलन के तहत पन्ना कलेक्ट्रेट का घेराव किया।

प्रभावित ग्रामीण अपने तय कार्यक्रम के अनुसार डायमंड चौराहा से डाइट चौराहा, बलदेव मंदिर, बड़ा बाजार और अजयगढ़ चौराहा होते हुए 8 किलोमीटर की पदयात्रा कर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में किसान और आदिवासी परिवार न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। रात होते-होते आंदोलन और मजबूत होता नजर आया। हजारों आदिवासी किसान और ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर में ही डेरा डालकर बैठ गए। कई महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ बिना चादर और बिस्तर के जमीन पर ही रात्रि विश्राम करने को मजबूर रहीं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट और न्यायपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक वे कलेक्ट्रेट से हटने वाले नहीं हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में हजारों लोग कड़कड़ती धूप में करीब चार घंटे तक तेज धूप में बैठे रहे, लेकिन कलेक्टर उनसे मिलने नहीं आए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं, जिनकी गोद में दो-दो, तीन-तीन महीने के बच्चे और कुछ 15 दिन के नवजात शिशु भी थे। ग्रामीणों का आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बावजूद प्रशासन की ओर से पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई। यहां तक कि कार्यालय परिसर के अंदर से जो पानी लिया जा रहा था, उसकी सप्लाई भी बंद कर दी गई। कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों के लिए दूर जाकर पानी लाने को मजबूर हुईं। डूहालाकि बाद में एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिलने अंदर गया। प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से परियोजना से जुड़े दस्तावेज और जानकारी मांगी। ग्रामीणों का कहना था कि इस संबंध में कई बार आवेदन और आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी मांगी गई, लेकिन प्रशासन ने अब तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। कलेक्टर ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बताते हुए अपनी बात रखी, लेकिन प्रतिनिधिमंडल ने इसे संतोषजनक नहीं माना। जब प्रतिनिधिमंडल बाहर आया और पूरी जानकारी उपस्थित किसानों और ग्रामीणों को बताई, तो पहले से नाराज लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। इसके बाद हजारों ग्रामीणों ने एक स्वर में निर्णय लिया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रात होने तक बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी



कलेक्ट्रेट परिसर में ही डटे रहे। कई महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ बिना चादर और बिस्तर के जमीन पर ही रात गुजारने को मजबूर रहीं, जबकि कई लोग भूखे-प्यासे ही आंदोलन स्थल पर बैठे रहे। जय किसान संगठन के नेतृत्व में चल रहा यह 'न्याय सत्याग्रह' अनिश्चितकालीन बताया जा रहा है। आंदोलन की मुख्य मांगें

1. प्रभावित किसानों और आदिवासी परिवारों से उनके बसे-बसाए गांव जबरन न छीने जाएं।
2. यदि विस्थापन आवश्यक हो तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए गांव के बदले गांव बसाकर पुनर्वास किया जाए।
4. प्रभावित परिवारों को उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त कृषि भूमि उपलब्ध कराई जाए।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने कहा कि यह लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अन्याय और प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हजारों आदिवासी और किसान परिवारों को उनकी जमीन और संस्कृति से अलग किया जा रहा है, लेकिन कानून का पालन नहीं किया

जा रहा। भटनागर ने कहा --हमारा आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण है, लेकिन शांति को हमारी कमजोरी समझने की भूल प्रशासन न करे। यदि प्रभावित किसानों और आदिवासियों को न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन और व्यापक रूप लेगा।

विभिन्न संगठनों और नेताओं ने दिया समर्थन

आंदोलन को कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिला। आम आदमी पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारी अंजली यादव, जय आदिवासी संगठन के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ और कांग्रेस नेता भरत मिलन पांडे ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। कांग्रेस नेता भरत मिलन पांडे ने कहा कि केन-डूबेतवा लिंक परियोजना बुदेलखंड के लिए एक अभिशाप साबित हो सकती है और उन्होंने प्रशासन के रवैये की कड़ी आलोचना की। वहीं जय आदिवासी संगठन के जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि आदिवासियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल होंगे। पन्ना जिले के इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी कलेक्ट्रेट परिसर में रात तक डटे रहे। अब पूरे क्षेत्र की नजर इस 'न्याय सत्याग्रह' आंदोलन पर है कि

प्रशासन इस जनआक्रोश का क्या समाधान निकालता है।

यह रहे शामिल

राममिलन आदिवासी, राजेश आदिवासी, पप्पू यादव, धुन्नी आदिवासी, मुलायम यादव, मोहन यादव, बीरन आदिवासी रामसुजान यादव पप्पू आदिवासी, मातादीन आदिवासी, मंगल यादव, देशकुमार यादव, श्रीराम यादव, मनोज आदिवासी, मझली बहू आदिवास, राधा आदिवासी राजू आदिवास लवकुश यादव, बबलू यादव, राजू यादव, कालीचरण प्रजापति, माया आदिवासी, हरिओम आदिवासी, रामसरुप कोंदर, पुनिया आदिवासी, मालती आदिवासी, लीला आदिवासी, गया प्रसाद कोंदर, रवि कोंदर, पिकी देवी कोंदर, राजाबाई कोंदर, राजाबाई कोंदर रानी कोंदर बेनी बाई आदिवासी, पाना आदिवासी, रूक्मणी आदिवासी, ईश्वरदीन कोंदर, भागीरथ आदिवासी, कल्लू आदिवासी, गनपत आदिवासी, राजाबेटी आदिवासी, रामलाली आदिवासी, रामसनेही आदिवासी, ब्रजेश आदिवासी, फूलबाई आदिवासी, शंभू आदिवासी, केशर आदिवासी, कामता प्रसाद कोंदर, रजनी आदिवासी, शांति आदिवासी, प्रेम रानी आदिवासी, देशराज यादव, हरदास आदिवासी, देवकली आदिवासी, पप्पू आदिवासी जौहरी आदिवासी, सीताराम यादव कमलेश यादव, मुलायम यादव, मनोज आदिवासी शायद बड़ी संख्या में हजारों आदिवासी किसान सम्मिलित हुए जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं रही।

काला लहसुन है सेहत का खजाना, पचने में आसान

लहसुन से तो आप परिचित ही होंगे। ये हमारी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी किसी से छुपे नहीं हैं। लेकिन क्या आपने कभी 'काले लहसुन' के बारे में सुना है। यह नाम सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है।

साइंस जर्नल 'इनटेक ओपन' में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार, नियमित एक्सरसाइज के साथ काला लहसुन खाने से विसरल फैट और लिवर इंफ्लेमेशन को कम करने में मदद मिल सकती है।

सवाल- काला लहसुन क्या है?

जवाब- काला लहसुन असल में कच्चा लहसुन ही होता है। इसे कई हफ्तों तक हल्की गर्मी और ज्यादा नमी में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को मेलाई रिएक्शन कहते हैं, जिसमें लहसुन की कलियां धीरे-धीरे काली हो जाती

हैं। इस दौरान लहसुन का स्वाद बदल जाता है।

इसके बाद इसका स्वाद तीखा नहीं रहता, बल्कि थोड़ा नरम और मीठा हो जाता है। कुल मिलाकर रेगुलर सफेद लहसुन मेलाई रिएक्शन के बाद काला लहसुन बन जाता है।

सवाल- काले लहसुन और रेगुलर लहसुन में क्या अंतर है?

विसरल फैट और लिवर इंफ्लेमेशन को कम करने में मदद मिल सकती है

जवाब- काला लहसुन और रेगुलर लहसुन दिखने में, स्वाद और प्रोसेसिंग के मामले में एक-दूसरे से अलग होता है। दोनों के गुण अलग हैं, इसलिए इनके फायदे और इस्तेमाल भी अलग-अलग हैं। ग्राफिक से दोनों के अंतर समझते हैं-



इसके अलावा काले लहसुन में फोलेट, कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक और आयरन जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स भी होते हैं। कच्चे लहसुन की तरह इसमें भी अमीनो एसिड, फाइब्रोसिटीक और एंटीऑक्सिडेंट्स मौजूद होते हैं। बस फर्मेशन की प्रक्रिया से उनकी मात्रा बदल जाती है।

सवाल- काले लहसुन की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है?

जवाब- सीनियर क्लीनिकल डाइटिशियन डॉ. अनु अग्रवाल बताती हैं कि 15 ग्राम छिले हुए काले लहसुन में करीब 20 कैलोरी होती है। इसमें विटामिन C और B-कॉम्प्लेक्स भी होते हैं।

नवरात्र हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार

चैत्र नवरात्र 2026 की शुरुआत 19 मार्च, गुरुवार से होगी और इसका समापन 27 मार्च, शुक्रवार को होगा

नवरात्र के पहले दिन यानी 19 मार्च को घटस्थापना (कलश स्थापना) की जाएगी, जिससे मां दुर्गा की पूजा की शुरुआत मानी जाती है। वहीं, नवरात्र का अंतिम दिन नवमी 27 मार्च को मनाया जाएगा। नवरात्र हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है, जो लगभग 9 रात और 10 दिन तक चलता है। इन दिनों मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है और भक्त व्रत रखकर मां से सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।

साल में कुल 4 बार नवरात्र आती है- चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र, माघ नवरात्र और आषाढ़ नवरात्र। इनमें से चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और बड़े स्तर पर मनाई जाती हैं। वहीं माघ और आषाढ़ नवरात्र को आमतौर पर गुप्त नवरात्र कहा जाता है, जिनमें खास तौर पर साधना और तंत्र साधना करने वाले लोग पूजा करते हैं।

उदयातिथि के अनुसार, चैत्र नवरात्र 19 मार्च को मनाई जाएगी। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस दिन घटस्थापना का मुहूर्त सुबह 6 बजकर 52 मिनट से शुरू होगा और मुहूर्त का समापन 7 बजकर 53 मिनट पर होगा। हर वर्ष चैत्र नवरात्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस बार नवरात्र की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 20 मार्च को सुबह 4 बजकर 52 मिनट पर होगा।

कैसे करें नवरात्र के पहले दिन कलशस्थापना?
नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना से मां दुर्गा की पूजा की शुरुआत होती है। इसके लिए सबसे पहले घर के मंदिर या किसी साफ स्थान पर चौकी रखकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दें। इसके बाद एक पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बोएं। फिर तांबे या मिट्टी का कलश लेकर उसमें जल भरें और उसमें चावल, सुपारी आदि डाल दें। कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखें और



चैत्र नवरात्र की तिथि

प्रतिपदा (मां शैलपुत्री)	19 मार्च
द्वितीया (मां ब्रह्मचारिणी)	20 मार्च
तृतीया (मां चंद्रघंटा)	21 मार्च
चतुर्थी (मां कुष्मांडा)	22 मार्च
पंचमी (मां स्कंदमाता)	23 मार्च
षष्ठी (मां कात्यायनी)	24 मार्च
सप्तमी (मां कालरात्रि)	25 मार्च
अष्टमी (मां महागौरी)	26 मार्च
नवमी (मां सिद्धिदात्री) और रामनवमी	27 मार्च

ऊपर लाल कपड़े में लिपटा नारियल स्थापित करें। इसके बाद दीपक और धूप जलाकर मां दुर्गा का ध्यान करें और पूजा करें। माना जाता है कि सही विधि से कलश स्थापना करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है।

89 साल बाद बनेगा नवरात्र में ये दुर्लभ संयोग

ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, इस बार नवरात्र और हिंदू नव वर्ष से जुड़ी कुछ खास बातें सामने आ रही हैं, जो पूरे 89 साल बाद देखने को मिल रही हैं। सनातन परंपरा के अनुसार, हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और इसी दिन से विक्रम संवत् भी शुरू माना जाता है। लेकिन इस बार प्रतिपदा तिथि के क्षय होने की वजह से नया संवत् सीधे द्वितीया तिथि से आरंभ होगा। आने वाले वर्ष को रौद्र संवत्सर के नाम से जाना जाएगा। नया विक्रम संवत् 2083 और शक संवत् 1948 रहेगा।

पुराने वर्ष से शुरू होगा हिंदू नववर्ष

इस बार नवरात्र की शुरुआत पुराने साल में ही हो जाएगी, जबकि नया वर्ष 20 मार्च से नए पंचांग के अनुसार शुरू होगा पंचांग के अनुसार, इस वर्ष संवत्सर के राजा गुरु और मंत्री मंगल होंगे। माना जाता है कि गुरु के राजा होने से धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है, जबकि मंगल मंत्री होने के कारण कुछ जगहों पर तनाव या अशांति की स्थिति भी बन सकती है।

नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के आगमन की सवारी भी दिन के अनुसार अलग-अलग मानी जाती है। इस बार नवरात्र की शुरुआत गुरुवार को होने के कारण मान्यता है कि मां पालकी (डोली) पर सवार होकर आएंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पालकी पर माता का आगमन शुभ संकेत नहीं माना जाता है और इसे कभी-कभी महामारी या बड़ी बीमारियों के संकेत से भी जोड़ा जाता है। धार्मिक परंपरा में मां दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व बताया गया है।

म.प्र. में विषय परिवर्तन पर परीक्षा प्रस्ताव : सुधार या संघर्षरत वंचित व आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ ?



कु. प्रियंका जाटव
[लेखिका: सामाजिक कार्यकर्ता
विचारक-चिंतक]

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 से प्रस्तावित वह व्यवस्था, जिसके अंतर्गत विषय बदलकर स्नातक (यू.जी.) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को पात्रता परीक्षा देनी होगी, केवल एक शैक्षणिक प्रशासनिक निर्णय नहीं है बल्कि यह मध्यप्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। विशेष रूप से यह निर्णय उन विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित हैं। पहली दृष्टि में यह व्यवस्था शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास प्रतीत हो सकती है, किंतु जब इसे मध्यप्रदेश की वास्तविक सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाता है, तब यह नीति कई गंभीर और चिंताजनक प्रश्नों को जन्म देती है मध्यप्रदेश भारत के उन राज्यों में से एक

है जहाँ सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आबादी बड़ी संख्या में निवास करती है। राज्य की कुल जनसंख्या में लगभग 20 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति तथा लगभग 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य की शिक्षा नीति का प्रभाव इन समुदायों के करोड़ों बच्चों और युवाओं पर पड़ता है। लेकिन शिक्षा के बुनियादी आंकड़े ही यह संकेत देते हैं कि राज्य की शैक्षणिक स्थिति अभी भी कई चुनौतियों से घिरी हुई है। मध्यप्रदेश की कुल साक्षरता दर लगभग 69 प्रतिशत के आसपास है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग 63 प्रतिशत तक सीमित रह जाती है। ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर तो लगभग 52 प्रतिशत के आसपास ही है। यह आंकड़े स्वयं इस बात की ओर संकेत करते हैं कि शिक्षा का आधार अभी भी राज्य में मजबूत नहीं हो पाया है, विशेष रूप से आदिवासी और दलित विद्यार्थियों की स्थिति और भी अधिक चिंताजनक है। उपलब्ध शैक्षणिक आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का हायर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन अनुपात लगभग 32 प्रतिशत के आसपास है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह लगभग 51 प्रतिशत के करीब है। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर भी यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसका सीधा अर्थ यह है कि बड़ी संख्या में आदिवासी और वंचित वर्ग के विद्यार्थी बारहवीं कक्षा तक पहुँचने से पहले ही शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में जो विद्यार्थी अत्यंत कठिन सामाजिक

और आर्थिक परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए बारहवीं तक जैसे-तैसे पहुँचते हैं, उनके सामने यदि स्नातक स्तर की शिक्षा में प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त पात्रता परीक्षा की बाधा खड़ी कर दी जाती है, तो यह उनके लिए अवसर से अधिक एक नई चुनौती बन सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविकता को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। राज्य के अनेक सरकारी विद्यालय आज भी शिक्षक की कमी, प्रयोगशालाओं की अनुपलब्धता, सीमित विषय विकल्प तथा शैक्षणिक मार्गदर्शन के अभाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। डिजिटल शिक्षा के युग में भी मध्यप्रदेश के केवल लगभग एक तिहाई सरकारी विद्यालयों में ही इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में ग्रामीण विद्यार्थियों के पास न तो पर्याप्त शैक्षणिक संसाधन होते हैं और न ही उन्हें वह मार्गदर्शन प्राप्त हो पाता है जो शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सहज रूप से उपलब्ध होता है। इस परिस्थिति में यदि किसी विद्यार्थी ने बारहवीं में परिस्थितियों के कारण या शैक्षणिक संसाधनों के अभाव के कारण कोई विषय लिया हो और बाद में अपनी रुचि या कैरियर की दिशा के अनुसार विषय बदलना चाहे, तो उसके सामने पात्रता परीक्षा की अतिरिक्त शर्त खड़ी करना समान अवसर की भावना के विपरीत प्रतीत होता है। यह प्रश्न केवल परीक्षा का नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय की मूल भावना का भी है। भारत का संविधान समानता के साथ-साथ समान अवसर सुनिश्चित करने की भी बात करता है।

लेकिन जब एक विद्यार्थी सीमित संसाधनों, कमजोर विद्यालय व्यवस्था और आर्थिक कठिनाइयों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करता है और उसके सामने आगे बढ़ने के लिए एक और परीक्षा की बाधा खड़ी कर दी जाती है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि...क्या यह वास्तव में समान अवसर है या फिर यह व्यवस्था अनजाने में ही उन विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के द्वार और अधिक संकुचित कर देगी जो पहले से ही संघर्ष की राह पर चल रहे हैं। यदि इस व्यवस्था को बिना सामाजिक दृष्टिकोण के लागू किया गया तो इसके कई संभावित दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। ग्रामीण और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा में प्रवेश कम हो सकता है, विषय परिवर्तन की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व भी प्रभावित हो सकता है। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य केवल योग्यतम का चयन करना नहीं होता, बल्कि उन प्रतिभाओं को भी अवसर देना होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं। इसलिए यदि स्नातक स्तर पर विषय परिवर्तन के लिए कोई नई व्यवस्था बनाई जा रही है, तो उससे पहले ग्रामीण अंचलों की वास्तविक परिस्थितियों पर भी गंभीरता से नजर डालना आवश्यक है। आज भी अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा आवश्यक शैक्षणिक संसाधनों की

कमी के बीच जैसे-तैसे संचालित हो रही है, जहाँ विद्यार्थी सीमित साधनों के साथ अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे वंचित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें ब्रिज कोर्स, शैक्षणिक मार्गदर्शन, विशेष सहायता कार्यक्रम तथा पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता प्रदान की जाए, न कि स्नातक स्तर पर मात्र विषय परिवर्तन करने पर एक और अतिरिक्त पात्रता परीक्षा का बोझ दिया जाए। आज आवश्यकता केवल नई नीतियाँ बनाने की नहीं है, बल्कि उन नीतियों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में समझने की भी आवश्यकता है। यह समय आत्ममंथन का है...कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के नाम पर हम अनजाने में उन विद्यार्थियों के लिए रास्ता और अधिक कठिन बना रहे हैं, जिन्हें शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि शिक्षा के द्वार उन्हीं विद्यार्थियों के लिए संकुचित होने लगे-जिनके लिए शिक्षा आशा, अवसर और सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि संघर्षरत और वंचित विद्यार्थियों के लिए ही शिक्षा का रास्ता कठिन बना दिया जाए, तो यह केवल एक निर्णय नहीं बल्कि समान अवसर की संवैधानिक भावना के लिए भी बड़ा प्रश्न बन जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि गुणवत्ता के नाम पर बनाई गई नीतियाँ अनजाने में उन गरीब वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के सपनों पर ही ताले लगा दें। जिनके लिए शिक्षा ही जीवन बदलने का एकमात्र माध्यम है।

प्रस्फुटन समितियों का प्रशिक्षण संपन्न



हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय
संवाददाता

उदयपुर। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा चयनित नवांकुर संस्था, मां रेवा सेवा समिति धौलपुर द्वारा, ग्राम विकास प्रस फूटन समितियों का प्रशिक्षण ग्राम पंचायत नूरनगर नगर में आयोजित किया गया, प्रशिक्षण में जिला समन्वयक कल्याण सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत कि सरपंच, श्रीमती निर्मला पटेल, सरपंच

प्रतिनिधि योगेंद्र पटेल, ग्राम पंचायत सचिव सरदार सिंह जी, रामकुमार जी, ब्लॉक समन्वयक राममोहन रघुवंशी, उपस्थिति रहे, यह प्रशिक्षण समितियों के सशक्तिकरण के लिए किया गया, उद्यान की विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए साक्षी पटेल मैडम दुरा, योजनाओं की जानकारी दी गई, ग्राम को स्वावलंबी एवं नशा मुक्त बनाने के लिए ग्राम में मिलकर काम करें,

इस विषय पर जिला समन्वयक द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, समिता समाज में उत्प्रेरक का काम करें, शासकीय योजनाओं में ग्राम में समन्वय स्थापित करें, एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को मिल सके, प्रशिक्षण में, नवांकुर संस्थाओं से, लक्ष्मण सिंह राजपूत, जगदीश नामदेव, पवन लोधी सत्यपाल राजपूत, परामर्शदाता भरत छिपा जी उपस्थित रहे

कई माह से पशु अस्पताल पर लटक रहा है ताला, पशुपालक परेशान, पशु विभाग मौन

अनूपपुर। जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेलिया बड़ी में स्थित पशु अस्पताल विगत दो माह से बंद पड़ा है, जिससे आसपास के चार-पांच गांवों के किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तालाबंदी की वजह से बीमार पशुओं का इलाज नहीं हो पा रहा है, और किसान मजबूर होकर दवा व इलाज के लिए दूसरे गांवों में भटक रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार अस्पताल में डॉक्टर प्रभारी के रूप में तो हैं, लेकिन वे सिर्फ कागजों पर ही सीमित हैं। वास्तविकता यह है कि पिछले दो महीनों से अस्पताल एक भी दिन नहीं खुला। यह कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि वर्षों से यह अस्पताल इसी हालत में है। बावजूद इसके विभागीय अधिकारियों ने आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। हाल ही में एक स्थानीय किसान अपने बीमार पशु के लिए दवा लेने बेलिया बड़ी पशु अस्पताल पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि यहां पहुंचकर दवा मिल जाएगी जिससे उसके पशु को राहत मिलेगी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल के दरवाजों पर लगा भारी ताला देख उसे निराशा हाथ लगी। किसान का कहना था कि उसने सोचा था कि यहां दवा मिल जाएगी, लेकिन पता चला कि यह अस्पताल तो आए दिन बंद ही रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस अस्पताल के बंद रहने से बेलिया बड़ी समेत आसपास के कई गांवों के सैकड़ों पशुपालक प्रभावित हो रहे हैं। वे बार-



बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और पशुपालन विभाग से मांग की है कि या तो अस्पताल में नियमित डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाए, या फिर किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। पशु उनकी अजीबिका का आधार हैं और इलाज के अभाव में उनकी जान पर बन आती है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

*इनका कहना है

जल्द ही पशु विभाग से कर्मचारी को भेज कर अस्पताल खोला जाएगा।

डॉ. बी बी चौधरी, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवा अनूपपुर

राज्यपाल सिकल सेल एनीमिया जागरूकता, बीज एवं कृषि उपकरण वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल

जनजातीय अंचल के विकास में खेत और किसान की अच्छी सेहत जरूरी: राज्यपाल श्री पटेल

भोपाल।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जागरूकता जरूरी है। विकास के लिए खेत और किसान की अच्छी सेहत होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवांशिक बीमारी के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करना तथा किसानों को आधुनिक कृषि संसाधनों से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

राज्यपाल श्री पटेल अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया जागरूकता कार्यक्रम एवं कृषि उपकरण एवं बीज वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने इस अवसर पर 300 जनजातीय किसानों को 36 लाख रुपये से अधिक के कृषि उपकरण, बीज एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सूक्ष्म सिंचाई घटक के हितलाभ किसानों को प्रदान किए। विभिन्न विभागों के हितलाभ हितग्राहियों को वितरित किए गए। उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अनुदान स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। सिकल सेल से पीड़ित मरीजों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना तथा उनके स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली। उन्होंने फोलिक एसिड तथा हाइड्रोक्सी यूरिया की दवाओं का नियमित उपयोग किये जाने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल को सुश्री जानकी डावर ने स्वनिर्मित पेंटिंग भेंट की। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने



कहा कि सिकल सेल आनुवांशिक रक्त विकार है, जो लड़के और लड़कियों दोनों में समान रूप से पाया जाता है। इस बीमारी में मरीज के रक्त की लाल कणिकाएं हंसिया के आकार की हो जाती हैं। जल्दी-जल्दी टूटने लगती हैं, जिससे गंभीर एनीमिया, पीलिया तथा तिल्ली के बढ़ने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये कणिकाएं शरीर के

विभिन्न अंगों में फंसकर घुटनों, हाथ-पैर, सीने और पेट में असहनीय दर्द का कारण बनती हैं। कई बार ये मस्तिष्क और हृदय में फंसकर लकवा या हृदयाघात जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र

मोदी ने 21 नवम्बर 2021 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ मध्यप्रदेश से किया था। प्रथम चरण में झाबुआ और आलीराजपुर जिलों में पायलट परियोजना के रूप में कार्य प्रारंभ किया गया था। उन्होंने जिले द्वारा स्क्रीनिंग एवं डिजिटल कार्ड वितरण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस दिशा में सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए आगे भी जनजातीय समुदाय को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि किट उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे किसानों को उत्पादकता और आय बढ़ाने में सहायता मिल रही है।

सहारा हॉस्पिटल द्वारा भीम नगर में लगाए निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण परामर्श शिविर में कई लोगों ने लाभ उठाया- डॉ. ए.एस. भल्ला



ग्वालियर।

सहारा हॉस्पिटल, सोफिया कॉलेज कैम्पस महलगांव सिटी सेंटर ग्वालियर द्वारा निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण परामर्श शिविर भीम नगर, भिंड में लगाया गया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने उपस्थित चिकित्सकों से अपने नेत्र एवं स्वास्थ्य का परीक्षण कराकर परामर्श प्राप्त किया। भीम नगर में शिविर स्थल पर पहुंचते ही सहारा हॉस्पिटल की चिकित्सा टीम का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया तथा स्थानीय समाजसेवियों ने शिविर की भूरी-भूरी प्रशंसा की। ज्ञात रहे कि सहारा हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो ग्वालियर-चंबल संभाग का एक प्रमुख अस्पताल है और ग्वालियर के सोफिया कॉलेज कैम्पस, महलगांव सिटी सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहा है। सहारा हॉस्पिटल लगभग 35 वर्षों से संचालित है, जिसमें मरीजों तथा उनके अटेंडरों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही बाहर से आने वाले मरीजों के लिए लंगर के माध्यम से दोनों समय भोजन की व्यवस्था

भी की जाती है। सहारा हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। एक्सिडेंट एवं गनशॉट जैसे मामलों में भी मरीज यहां स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। अस्पताल अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है तथा मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा आयुष्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है तथा स्वास्थ्य बीमा धारकों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी की गई है। भीम नगर, भिंड में आयोजित शिविर में गंभीर मरीजों को सहारा हॉस्पिटल की निःशुल्क गाड़ी से अस्पताल लाया गया तथा उन्हें भर्ती कर उपचार किया गया। साथ ही आंखों के ऑपरेशन कर लेंस प्रत्यारोपण भी किया गया। सहारा हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में मरीज प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज, विभिन्न प्रकार की जांच सुविधाएं तथा एंबुलेंस की व्यवस्था उपलब्ध है।

गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने, देशभर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया

जगदलपुर/बस्तर।

सनातन आस्था, भारतीय संस्कृति एवं गौ संरक्षण के महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज बस्तर में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक प्रभावशाली ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया। इस ज्ञापन में गौ माता को पूरे भारत में -राष्ट्रमाता- तथा सभी राज्यों में -राज्यमाता- घोषित करने, देशभर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा गौ संरक्षण हेतु कठोर एवं प्रभावी कानूनी प्रावधान लागू करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि सनातन हिंदू धर्म, वेद, पुराण एवं धर्मशास्त्रों में गौ माता को अत्यंत पवित्र, पूजनीय एवं जीवनदायिनी बताया गया है। भारतीय संस्कृति में गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि माता के रूप में पूजनीय है। करोड़ों सनातनी हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा गौ माता से जुड़ी हुई है, इसलिए गौ संरक्षण केवल धार्मिक विषय नहीं बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता और आस्था का विषय है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि गौ माता का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था सदियों से गौ आधारित रही है। गोबर से बनने वाली जैविक खाद भूमि की उर्वरता बढ़ाती है और रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव को कम करती है। गोबर से बायोगैस एवं ऊर्जा उत्पादन भी



संभव है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसी प्रकार गौमूत्र के औषधीय गुणों का उल्लेख आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में किया गया है। कई शोधों में इसके जीवाणुरोधी एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुणों का उल्लेख मिलता है। गाय का दूध, घी, दही, छाछ और पंचगव्य जैसे उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। ज्ञापन के माध्यम से यह भी मांग की गई कि - गौ माता को पूरे भारत में राष्ट्रमाता तथा सभी राज्यों में राज्यमाता का दर्जा प्रदान किया जाए। * देशभर में गौ हत्या पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाए। * गौ संरक्षण के लिए संसद द्वारा कठोर एवं प्रभावी केंद्रीय कानून बनाया जाए। * नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने वाले गौवंश के लिए सुदृढ़ और पारदर्शी चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। * नगरों में विभिन्न स्थानों पर गौ विश्राम स्थल विकसित किए जाएं, जहाँ चारा, स्वच्छ पेयजल तथा धूप एवं वर्षा से



बचाव की समुचित व्यवस्था हो। * धर्म शास्त्रों के अनुसार गौ माता के स्वतंत्र विचरण के विषय पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया कि यह मांग किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विरोध में नहीं है, बल्कि सनातन धर्म, भारतीय परंपरा और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के सम्मान के लिए उठाई गई है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि जगदुरु शंकराचार्य जी के नेतृत्व में कई दशकों से देशभर में गौ हत्या बंद करने और गौ संरक्षण को सशक्त बनाने की मांग उठती रही है। उसी मांग का समर्थन करते हुए यह ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि यदि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मानजनक दर्जा प्रदान किया जाता है तो यह न केवल करोड़ों सनातनियों की आस्था का सम्मान होगा बल्कि भारतीय संस्कृति, कृषि व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को भी नई मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर अरुण कुमार पाण्डेय, हीरा भंसाली एवं चंचलमल जैन उपस्थित रहे और गौ संरक्षण के इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से लेने की अपील की।